

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन , "ए " ब्लॉक, जनपथ , जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न . 12379 / 610

दिनांक :- 23-03-2018

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री ममता मीणा [लिंक न . 12379] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर - [1000046] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 07/11/2017 से 17/11/2017 तक 11

दिवस

कुल 11 दिवस

उक्त कुल 11 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री ममता मीणा की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न . 12379 / 610

दिनांक :- 23-03-2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर
2. कोषाधिकारी जयपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री ममता मीणा [12379] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव , निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)